75% उपस्थिति अनिवार्यता नियम

राज्य सरकार के आदेशानुसार

प्रत्येक विद्यार्थी के लिये सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक कक्षाओं में पृथक्–पृथक् रूप में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। ऐसा विद्यार्थी जो निर्धारित 75 प्रतिशत उपस्थिति प्राप्त नहीं कर पायेगा उसे नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने से वंचित कर दिया जायेगा।

टिप्पणी : जो विद्यार्थी एन.सी.सी. कैम्प, अन्तर्महाविद्यालय, अन्तर्विश्वविद्यालय अथवा राज्यस्तरीय खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम अथवा युवा–समारोह में भाग लेने महाविद्यालय द्वारा चयनित होकर जाते हैं तो उन्हें उतने ही दिन उपस्थित समझा जाएगा, जितने दिन वे ऐसे कार्यक्रम में भाग लेते हैं।

उपस्थिति में छूट का प्रावधान :

सत्र में बीमार विद्यार्थी को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर

1. प्राचार्य प्रत्येक विषय में कुल उपस्थिति के अधिकतम 3 प्रतिशत की छूट दे सकते हैं ।
2. विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों को अधिकतम 6 प्रतिशत की छूट दे सकता है।
3. स्नातक (पास कोर्स) कक्षाओं में कला तथा वाणिज्य संकाय के ऐसे नियमित विद्यार्थी जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है, वे स्वयंपाठी के रूप में उसी वर्ष परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त शुल्क जमा कराना होगा।
4. परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ऐसे छात्र राज्य सरकार/विश्वविद्यालय के नियमानुसार अगली कक्षा में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश पा सकेंगे।
5. स्नातक ऑनर्स के विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति की गणना उनके ऑनर्स विषय एवं सहायक विषय की कुल उपस्थिति के योग के आधार पर की जायेगी।

सभी संकायों में स्नातकोत्तर विद्यार्थी को उस प्रश्न पत्र में नियमित छात्र के रूप में परीक्षा देने से वंचित कर दिया जायेगा। जिसमें उसकी 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति है। विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे परीक्षार्थियों को उन प्रश्न पत्रों में अनुपस्थित माना जाएगा। ऐसे विद्यार्थी आगामी परीक्षा में पूर्व छात्र के रूप में परीक्षा दे सकते हैं।

विशेष : यदि कोई विद्यार्थी अपना संकाय/विषय परिवर्तन करता है या उसका प्रवेश विलम्ब से होता है या पूरक परीक्षा के कारण परिणाम विलम्ब से आता है तो भी उसकी उपस्थिति की गणना सत्र प्रारम्भ से ही होगी।

विद्यार्थियों को अपनी उपस्थिति की जानकारी कक्षा में प्रत्येक माह के अन्त में संबंधित प्राध्यापकों से प्राप्त कर लेनी चाहिए तथा **विद्यार्थी की स्वयं की यह जिम्मेदारी होगी कि वह प्रत्येक टर्म के अंत में उपस्थिति पंजिका में अपने हस्ताक्षर करें।**

परीक्षा आवेदन–पत्र भरने मात्र से किसी विद्यार्थी को परीक्षा में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

नोटः– उपर्युक्त विवरण नियमों का सारांश मात्र है विस्तृत जानकारी हेतु राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय के नियमों / आदेशों का अध्ययन करें।

♣♣♣